

सराहनीय कार्य कानपुर देहात दिनांक- 12.06.2024

- अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण।
- थाना रसूलाबाद क्षेत्रांतर्गत ग्राम मनावां में हुई हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को थाना पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी द्वारा दिनांक 09.06.2024 को दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 236/2024 धारा 452/302/34 भा0द0वि0 बनाम 07 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. कृष्ण मोहन उर्फ जज्जूराम पुत्र स्व0 भूरा लाल निवासी ग्राम मनावा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात 2. दीपक पुत्र कृष्ण मोहन निवासी ग्राम मनावा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 12.06.2024 को छुइया नाला पुलिया से करीब 50 कदम दूरी पर रसूलाबाद की तरफ अर्जुन के पेड़ो के पास थाना क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही शेष अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 08.06.2024 को समय रात्रि करीब 08.00 बजे मेरे घर के सामने मेरा चचेरा भाई मनोज कुमार पुत्र राम मोहन शराब के नशे में मुझे व मेरे परिवार को गन्दी-गन्दी गाली दे रहा था, मेरे व पिताजी के द्वारा समझाने बुझाने पर नहीं माना तब गुस्से में आकर मेरे द्वारा हाथ में लिये हुये सब्बल से उसके दाहिने पैर मे जोरदार प्रहार किया गया था, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था। घबराकर हम लोग डर के कारण वहा से भाग गये थे और मौके पर ही सब्बल आदि छोड दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- 1. कृष्ण मोहन उर्फ जज्जूराम पुत्र स्व0 भूरा लाल निवासी ग्राम मनावा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
- 2. दीपक पुत्र कृष्ण मोहन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम मनावा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात। अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-
- 1.मु0अ0सं0 236/2024 धारा 452/302/34 भा0द0वि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानप्र देहात
- 2.मु0अ0सं0 47/2020 धारा 323/325/452 भा0द0वि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानप्र देहात
- 3.मु0अ0सं0 574/2020 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली थाना रस्लाबाद पुलिस टीम-

